में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) जोकि आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2018 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2018 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999, (2000 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(ख) ''निक्षेप'' के अन्तर्गत किसी वित्तीय स्थापन द्वारा धन की कोई प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण आएगा जिसे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् या अन्यथा या तो नकद या वस्तु रूप में या किसी विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में प्रसुविधा सहित या बिना किसी प्रसुविधा के ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में वापस किया जाना हो और सदैव इसके अन्तर्गत समझा जाएगा, किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है,–

(i) शेयर पूंजी द्वारा या कैसे भी डिवेंचर, बॉण्ड द्वारा या दिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992, (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन आने वाली किसी अन्य लिखत द्वारा जुटाई गई रकम;

(ii) रकमें जिनका पूंजी के रूप में किसी फर्म के भागीदारों द्वारा अभिदाय किया गया हो;

(iii) किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त रकमें;

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई रकम–

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक; या

(ख) राज्य वित्तीय संस्था; या

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, (1964 का 18) की धारा 6–क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था; या

(घ) कोई अन्य संस्था जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए;

(v) कारबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित द्वारा प्राप्त कोई रकम–

(क) प्रतिभूति निक्षेप; या

(ख) डीलरशिप निक्षेप; या

(ग) अग्रिम धन;

(vi) कम्पनी के कारबार के अनुक्रम में या प्रयोजनों के लिए प्राप्त कोई रकम–

(क) माल के प्रदाय या किसी भी रीति में सेवाओं की व्यवस्था के लेखे, चाहे जो भी हो, के लिए अग्रिम के रूप में, किन्तु ऐसा अग्रिम, ऐसे अग्रिम के प्रतिग्रहण की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर माल के प्रदाय या सेवाओं की व्यवस्था के विरुद्ध विनियोजित किया गया है :

परन्तु यदि कोई अग्रिम, जो किसी न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाहियों की विषय–वस्तु है, तो तीन सौ पैंसठ दिन की उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी;

(ख) किसी भी रीति में लेखे, चाहे जो भी हो, अग्रिम के रूप में किसी करार या प्रबन्ध के अधीन सम्पत्ति के लिए प्रतिफल के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया है, किन्तु ऐसा अग्रिम करार या प्रबन्ध के निबन्धनों के अनुसार सम्पत्ति के विरुद्ध समायोजित किया गया है;

(ग) माल के प्रदाय या सेवाओं की व्यवस्था के लिए संविदा के निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में;

(घ) उपरोक्त मद (ख) के अन्तर्गत के सिवाय, पूंजी माल के प्रदाय के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के अधीन प्राप्त अग्रिम के रूप में;

(ङ) लिखित करार या व्यवस्था के अनुसार वारण्टी या अनुरक्षण के रूप में भविष्य में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल हेतु अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ऐसी सेवाओं के प्रतिग्रहण की तारीख से सामान्य कारबार व्यवहार के अनुसार प्रचलित अवधि या पांच वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है;

(च) अग्रिम के रूप में प्राप्त और किसी क्षेत्रीय (सेक्टोरल) विनियामक द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार यथा अनुज्ञात; और

(छ) प्रकाशन, चाहे मुद्रण या इलैक्ट्रॉनिक हो, के लिए अभिदाय हेतु अग्रिम के रूप में ऐसे प्रकाशन की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यदि उपरोक्त मद (क), (ख) और (घ) के अधीन प्राप्त रकम (ब्याज सहित या ब्याज के बिना) इस कारण प्रतिदेय हो जाती है कि धन स्वीकार करने वाली कम्पनी के पास, जहां कहीं अपेक्षित है, माल या सम्पत्ति या सेवाओं में व्यौहार करने हेतु,

जिसके लिए धन लिया गया है, आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन नहीं है, तो इस प्रकार प्राप्त रकम को निक्षेप समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए रकम को, उस तारीख से, जब वह प्रतिदाय के लिए देय हो जाती है, पन्द्रह दिन की अवधि के अवसान पर निक्षेप समझा जाएगा;

(vii) किसी व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों के किसी संगम, जो राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई रकम;

(viii)चिट की प्राप्ति में अभिदानों के रूप में प्राप्त कोई रकम;

स्पष्टीकरण-I.—''चिट'' का वही अर्थ होगा जो चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खण्ड (ख) में है।

स्पष्टीकरण-II.—कोई संव्यवहार इस खण्ड के अर्थान्तर्गत चिट नहीं है, यदि ऐसे संव्यवहार में,–

(i) अभिदाताओं में से कोई एकमात्र, न कि समस्त भावी अभिदानों के संदाय के किसी दायित्व के बिना इनाम रकम प्राप्त करता हो; या

(ii) समस्त अभिदाता, भावी अभिदानों के संदाय के दायित्व सहित, बारी–बारी से चिट रकम प्राप्त करते हों;

(ix) कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अध्याय–3 और 4 के उपबन्धों की अनुपालना में शेयर पूंजी या डिबेंचरों या बन्ध पत्रों के रूप में असूचीगत कम्पनियों द्वारा जुटाई गई रकम; और

(x) कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 73 से 76 के उपबन्धों की अनुपालना में कम्पनियों द्वारा जुटाए गए निक्षेप;

स्पष्टीकरण.–किसी क्रेता द्वारा, किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल हो) के विक्रय पर किसी विक्रेता को दिया गया कोई उधार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;

(ग) ''वित्तीय स्थापन'' से किसी स्कीम या प्रबन्ध के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेप अभिप्राप्त करने के कारबार को कार्यान्वित करने के लिए कोई व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्म या कम्पनी अधिनियम, 1956, (1956 का 1) या कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, (2009 का 6) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रणाधीन कोई निगम या कोई सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (1949 का 15) की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नहीं है;''; और

3. धारा 13क, 13ख, 13ग और 13घ का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

13क. वित्तीय स्थापनों द्वारा रिपोर्ट और विवरणी.––(1) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, जो राज्य में इस रूप में अपना कारबार इस अधिनियम के प्रारम्भ को या इसके पश्चात् प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है तो वह जिला

कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को, ऐसे कारबार को कार्यान्वित करने के अपने प्राधिकार के बारे में ब्योरों, राज्य में वित्तीय स्थापन की अवस्थिति और इसके मुख्य शाखा कार्यालय, यदि कोई है, जहां कहीं अवस्थित हो और राज्य में वित्तीय स्थापन के कारबार या कार्यकलापों के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पते और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, का वर्णन करते हुए रिपोर्ट करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट, उस तारीख से, जिसको वित्तीय स्थापन राज्य में इस रूप में अपना कारबार प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है, सात दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु ऐसा वित्तीय स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इस रूप में अपना कारबार कार्यान्वित कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसी रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, अपने कारबार और वित्तीय स्थिति, अपने निवेश के क्षेत्र और राज्य के भीतर और इससे बाहर इसके द्वारा किए गए धन के विनिधान (निवेश) की अवस्थिति, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, की बाबत जिला कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अवसान से एक मास के भीतर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(4) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

13ख. अपराधों का शमन.––(1) धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध का, अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् अभिहित न्यायालय की अनुज्ञा से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को ब्याज सहित या ब्याज के बिना देय सम्पूर्ण रकम के संदाय पर, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है तो वहां इस प्रकार शमनित अपराध की बाबत किसी अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल उन्मोचित कर दिया जाएगा।

13ग. अग्रिम जमानत का प्रदान न किया जाना.––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) की धारा 438 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं करेगा।

13घ. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां सरकार या सरकार के सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने और इन कम्पनियों में निक्षेपकों (जमाकर्ताओं) के हितों के संरक्षण के आशय से राज्य सरकार ने ''हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19)'' अधिनियमित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त अधिनियम में कुछ और उपबन्धों को सम्मिलित (निगमित) करने की संस्तुति की थी। तद्नुसार, राज्य विधानसभा द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पारित किया गया था। संशोधन विधेयक को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया था। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विधेयक के कुछ

खण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित (निगमित) करने के लिए, संशोधन विधेयक, 2016 के खण्डों में कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं और इसलिए एक नया संशोधन विधेयक विधानसभा में पुरःस्थापित किया जा रहा है। इन संस्तुतियों का परीक्षण किया गया और यह पाया गया है कि इन नए उपबन्धों का निगमन, विद्यमान विधान में कतिपय कमियों को दूर करने में सहायक होगा तथा कतिपय गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के कपटपूर्ण आचरण (व्यवहार) के विरुद्ध इसे और अधिक भयोपराधी और प्रभावी बनाया जाए। विधि में प्रस्तावित परिवर्तन निक्षेपकों के हित को प्रभावी रीति में संरक्षित करने में भी सहायक होंगे। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख : ....., 2018

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Amendment Act, 2018.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999, (19 of 2000) (hereinafter referred to as the 'principal Act') for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) "Deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the

form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit, or in any other form, but does not include,—

(i) any amount raised by way of share capital or by any way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the Securities and Exchange Board of India, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, (15 of 1992);

(ii) any amounts contributed as capital by partners of a firm;

(iii) any amounts received from a Scheduled bank or Co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949);

(iv) any amount received from—

(a) the Industrial Development Bank of India; or

(b) a State Financial Institution; or

(c) any financial institution specified in or under section 6-A of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, (18 of 1964); or

(d) any other institution that may be specified by the Government in this behalf;

(v) any amount received in the ordinary course of business by way of—

(a) security deposit; or

(b) dealership deposit; or

(c) earnest money;

(vi) any amount received in the course of or for the purposes of the business of the company—

(a) as an advance for the supply of goods or provisions of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty five days from the date of acceptance of such advance:

Provided that in case of any advance which is subject matter of any legal proceedings before any court of law, the said time limit of three hundred and sixty five days shall not apply;

(b) as advance, accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for property under an agreement or arrangement, provided that such advance is adjusted against the property in accordance with the terms of agreement or arrangement;

(c) as security deposit for the performance of the contract for supply of goods or provisions of services;

(d) as advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b) above;

(e) as an advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement or arrangement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less;

(f) as an advance received and as allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government; and

(g) as an advance for subscription towards publication, whether in print or in electronic to be adjusted against receipt of such publications:

Provided that if the amount received under items (a), (b) and (d) above becomes refundable (with or without interest) due to the reasons that the company accepting the money does not have necessary permission or approval, wherever required, to deal in the goods or properties or services for which the money is taken, then the amount so received shall be deemed to be a deposit;

Explanation.—For the purposes of this sub-clause the amount shall be deemed to be deposits on the expiry of fifteen days from the date they become due for refund;

(vii) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate, registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in the State;

(viii) any amount received by way of subscriptions in receipt of a chit;

Explanation-I.—"Chit" has the meaning as assigned to in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).

Explanation-II.—A transaction is not a chit within the meaning of this clause, if in such transaction ,—

(i) some alone, but not all, of the subscribers get the prize amount without any liability to pay future subscriptions; or

(ii) all the subscribers get the chit amount by turns with a liability to pay future subscriptions;

(ix) amount raised by unlisted companies by way of share capital or debentures or bonds in compliance with provisions of Chapter-III and IV of the Companies Act, 2013, (18 of 2013); and

(x) deposits raised by Companies in compliance with provisions of section 73 to 76 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

Explanation.—Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

(c) "**Financial Establishment**" means an individual, an association of individuals, a firm or a company registered under the Companies Act, 1956, (1 of 1956) or Companies Act, 2013 (18 of 2013), or a Limited Liability Partnership as defined under the Limited

Liability Partnership Act, 2008, carrying on the business of receiving deposits under scheme or arrangement or any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government, or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, (15 of 1949);" ; and

3. Insertion of sections 13A, 13B, 13C and 13D.—After section 13 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"13A. Report and return by Financial Establishments.—(1) Every Financial Establishment which commences or carries on its business as such in the State on or after the commencement of this Act, shall make a report to the District Collector and the Superintendent of Police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main branch office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the Financial Establishment in the State and such other particulars as may be prescribed.

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a Financial Establishment commences or carries on its business as such in the State:

Provided that a Financial Establishment which has been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act shall make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every Financial Establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of Police of the district in respect of its business and Financial position, the area of its investment and the location of investments of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

13B. Compounding of offence.—(1) An offence punishable under section 5 may, before the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority or after the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority with the permission of the Designated Court on payment of the entire amount due to the depositors with or without interest.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken or continued against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

13C. Anticipatory bail not to be granted.—Notwithstanding anything contained in section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) no Court shall grant anticipatory bail to any person under this Act.

13D. Protection on action taken in good faith.—No suit or other proceedings shall lie against the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government for anything which is, in good faith, done or intended to be done under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to control the activities of Non-Banking Financial Companies in the State and to protect the interests of the depositors in these companies, the State Government has enacted "The Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No.19 of 2000)". The Reserve Bank of India had recommended some more provisions to be incorporated in the Act *ibid*. Accordingly, the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Estabilishments) Amendment Bill, 2016 (Bill No.4 of 2016) was passed by the State Legislative Assembly on 05-04-2016. The Amendment Bill was sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, through Governor for the assent of the Hon'ble President of India. The Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance, Government of India proposed changes in some clauses of the Bill. To incorporate the suggested changes, some amendments need to be carried out in the clauses of the Amendment Bill, 2016, and thus a new Amendment Bill is being introduced in the Legislative Assembly. These recommendations were examined and it is felt that the incorporation of these new provisions would help to remove certain infirmities in the existing legislation and make it more deterrent and effective against the fraudulent practices of certain Non-Banking Financial Companies. The proposed changes in Law will help to protect the interest of depositors in an effective manner. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

DHARAMSHALA :
The ....., 2018.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 05 दिसम्बर, 2018

संख्याः यू0डी0–ए0(3)–12 / 2015–III.––हिमाचल प्रदेश के राजपाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नीति विरचित करते हैं, अर्थात्:––

हिमाचल प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (शहरी) राज्य नीति

प्रस्तावना :

जैसे ही राज्य विकास की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में प्रकट हो रहा है। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के कर्मक्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार सत्त विकास के अनुसरण में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं को सम्यक पूर्विकता प्रदान करती है, शहरी विकास विभाग प्रभावी राज्य–व्यापी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की राज्य नीति को प्रस्तुत करता है, जिसमें साधारण सिद्धान्त, अर्थोपाय, जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के संकट को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

परिचय :

शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर स्तरमान सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अति आवश्यक सेवाओं में से एक है। भारत में इस सेवा का